संख्या- 31 /2018/720/24-1-18-96/2015 टी0सी0

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2018**

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-344/ मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/299/2017-18 टी0सी0, दिनांक 12 मार्च, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उ0प्र0 विद्युत निगम में अंशपूँजी विनियोजन के लेखाशीर्षक- 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-06-ग्रामीण विद्युतकरण-190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उ0प्र0 विद्युत निगम में अंशपूँजी विनियोजन (के-100) - 30 - निवेश / ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 3735,19,58,000/- (रूपये सैंतीस सौ पैंतीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 17,84,00,000/- (रूपये सत्रह करोड़ चौंरासी लाख मात्र) को संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक-4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश -04-समन्वित विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण कार्यों हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण में समायोजन के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण नकद न कर पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में किसी अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक ''4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-04- समन्वित विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण कार्यो हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण'' के नामे डाला जायेगा तथा अवमुक्त की गयी धनराशि को लेखाशीर्षक- 0801-बिजली-06-ग्रामीण

http://shasanadesh.up.nic.in

विद्युतीकरण-800-अन्य प्राप्तियॉ-01-ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अंशपूॅजी हेतु भारत सरकार से प्राप्ति के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 51 /दस-2018, दिनांक 23 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 31 /2018/720(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in